UPME010089312026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मेरठ।

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार मिश्रा–द्वितीय
(उच्चतर न्यायिक सेवा)
<u>प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र सं0–2520/2026</u>

अभिषेक पुत्र कंवरपाल, निवासी–ग्राम–सोना, थाना–परीक्षितगढ़, जिला–मेरठ।
.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0राज्य .....विपक्षी

मुकदमा अपराध सं0–135/2026
अं0धारा–109(1),115(2),351(3),352,
117(3) बी0एन0एस0
थाना–परीक्षितगढ़, जनपद–मेरठ।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से.....श्री ओमकार सिंह भाटी, विद्वान अधिवक्ता
उ0प्र0राज्य की ओर से..... श्री के0के0चौबे, डी0जी0सी0(क्रिमि0) एवं
श्री अश्वनी गोयल, सहा0डी0जी0सी0(क्रिमि0)
वादी की ओर से ..... श्री विनोद कुमार चौधरी, विद्वान अधिवक्ता

<u>दिनांक–02.07.2026</u>

1. यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त अभिषेक की ओर से मुकदमा अपराध सं0–135/2026, अं0धारा–109(1),115(2),351(3),352,117(3) बी0एन0एस0, थाना–परीक्षितगढ़, जनपद–मेरठ में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्त के पैरोकार का शपथ पत्र दाखिल है, जिसमें यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इस जमानत प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3. पुलिस प्रपत्र में अभियोजन कथन संक्षेप में यह है कि दिनांक 12.04.2026 को शाम 06.00 बजे प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के भाई सूरजपाल को जान से मारने की नीयत से घर में खींचकर गाली–गलौज करते हुए, लाठी–डंडों व धारदार हथियारों से हमला किया। मारपीट में सूरजपाल के सिर में तथा दोनों पैरों में गंभीर चोट आयी है।

4. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र तथा

अपने तर्क में यह कथन किया गया है कि :–

- प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखायी गयी है।
- पीड़ित को कोई चोट प्राणघातक नहीं आयी है।
- वह कथित घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं था।
- पीड़ित को आयी चोटें साधारण प्रकृति की है।
- उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
- तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कथित घटना कारित की गयी है। अभियुक्त की भूमिका व कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

6. मैंनें प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादी के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में दिये गये दिशा–निर्देशों के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध केस–डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. निर्णय विधि **स्टेट आफ यू0पी0 बनाम अमरमणि त्रिपाठी (2005)8 एस0सी0सी0–21** में यह धारित किया गया है कि जमानत प्रार्थना–पत्र के निस्तारण के समय न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि क्या अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अथवा युक्ति–युक्त आधार यह विश्वास करने का है कि उसने अपराध कारित किया है? माननीय उच्चतम न्यायालय ने साथ ही साथ आरोप की प्रकृति एवं गम्भीरता, दोषसिद्धि की दशा में दण्डादेश की कठोरता, जमानत प्रदान किए जाने पर अभियुक्त के फरार होने का भय, अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार, साधन व स्थिति, अपराध के पुनरावृत्ति की सम्भावना, साक्ष्यों को प्रभावित करने का युक्तियुक्त भय एवं जमानत स्वीकार किए जाने की दशा में न्यायहित समाप्त होने का भय के बिन्दुओं पर विचार किये जाने हेतु दिशा–निर्देशित किया है।

8. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि पीड़ित को धारदार हथियार की कोई चोट नहीं आयी है।

9. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि घटना का कोई हेतुक नहीं है और चिकित्सीय परीक्षण आख्या एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट दोनों घोर विरोधाभासी हैं।

10. अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया है कि पीड़ित का तीन बार ऑपरेशन हुआ है और उसे गंभीर चोटें आयी हैं। प्रार्थी/अभियुक्त की घटनास्थल पर उपस्थिति साबित है।

11. प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। उसके विरूद्ध वादी मुकदमा के भाई सूरजपाल को जान से मारने की नीयत से घर में खींचकर गाली–गलौज करने व लाठी–डंडों व धारदार हथियारों से हमला किये जाने के आरोप हैं।

12. केस डायरी के पर्चा सं0–1 में अवलोकन मैडिकल रिपोर्ट मजरूब का विवरण दिया गया है, जिसमें मजरूब के शरीर पर आठ चोटें आना दर्शाया गया है तथा चोटों की प्रकृति को साधारण होना अंकित किया गया है। मजरूब को एक्सरे के लिए प्यारे लाल अस्पताल संदर्भित किया गया है।

13. मजरूब की एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार Comminuted fracture of proximal shaft of right tibia is noted. Comminuted fracture of proximal shaft of left tibia is noted पाया गया है।

14. केस डायरी के पर्चा सं0–6 में मजरूब की पूरक परीक्षण आख्या का विवरण दिया गया है, जिसमें चोट सं0–3,4,7 को गंभीर प्रकृति का अंकित करते हुए प्राणघातक होना पाया गया है।

15. उक्त पर्चे में चिकित्सक डा0 रवि जैन के बयान का विवरण दिया गया है, जिन्होंने कथन किया है कि मजरूब की चोटें गंभीर प्रकृति की थी तथा चोटों से जान का खतरा था। दोनों पैरों में फ्रैक्चर जो गंभीर प्रकृति का था। दोनों मेजर हड्डी टूटी हुई थी। केस काम्पलिकेटेड था।

16. वादी, पीड़िता व अन्य साक्षीगण द्वारा अपने–अपने बयानों में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर कथित घटना कारित किये जाने का कथन किया गया है।

17. प्रस्तुत मामले में विवेचना प्रचलित है।

18. प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अधिरोपित आरोप में अधिकतम दण्ड 10 वर्ष का प्रावधानित है। मामला गंभीर प्रकृति का है।

19. अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने का कोई

न्यायोचित एवं न्यायसंगत आधार प्रकट नहीं होते हैं। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त अभिषेक द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 02.07.2026

(अरविन्द कुमार मिश्रा–द्वितीय)
सत्र न्यायाधीश,
मेरठ।
I.D.No.U.P.-6030

S.Rastogi (P.A.)